इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 11, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2016

क्र. ई-1-305-2016-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/30/2016/AIS-I, दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा श्री शिवम वर्मा, भाप्रसे (2013) की सेवाएं नागालैण्ड संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं.

2. श्री शिवम वर्मा को आगामी आदेश तक, राजस्व संबंधी विषयों पर दो सप्ताह के संक्षिप्त प्रशिक्षण के लिए आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में संबद्ध किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-907-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को दिनांक 7 से 30 नवम्बर 2016 तक चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-930-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फटिंग राहुल हरिदास, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर को दिनांक 10 से 25 नवम्बर 2016 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फटिंग राहुल हरिदास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फटिंग राहुल हरिदास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फटिंग राहुल हरिदास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2016 द्वारा दिनांक 1 से 11 नवम्बर 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 7 से 18 नवम्बर 2016 तक बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षत अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 नवम्बर 2016 एवं दिनांक 19, 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2016 अनुसार यथावत्.

क्र. ई-5-901-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. डी. अग्रवाल, भाप्रसे, अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को दिनांक 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 अक्टूबर एवं 6 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-911-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुग्रह पी., आयएएस., तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया को दिनांक 1 से 30 अक्टूबर 2016 तक स्वीकृत साठ दिन के चाईल्ड केयर लीव के अनुक्रम में दिनांक 1 से 10 नवम्बर 2016 तक दस दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुग्रह पी., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-835-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस., आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 15 नवम्बर 2016 से दिनांक 2 दिसम्बर 2016 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 3 दिसम्बर 2016 के स्थानीय अवकाश तथा दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-846-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू तिवारी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को दिनांक 5 से 11 नवम्बर 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-409-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एस.आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982), तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री एस.आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. ई.-5-690-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11, दिसम्बर 2016 एवं दिनांक 17, 18, दिसम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरूद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-888-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2016 द्वारा दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2016 तक छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 नवम्बर 2016 एवं 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2016 अनुसार यथावत्.

क्र. ई.-5-951-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस., उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 5 से 12 दिसम्बर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 13 दिसम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आयएएस., आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश को दिनांक 21 से 30 नवम्बर 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-573-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-922-आयएएस-लीव-5-एक.—(1)श्री अजय कटेसरिया, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ को दिनांक 15 से 24 नवम्बर 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कटेसरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कटेसरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कटेसरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 13 अक्टूबर 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 अक्टूरब 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 सितम्बर 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई-5-1002-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश कुमार कौल, आयएएस., संयुक्त राजस्व आयुक्त, भोपाल को दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कौल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त राजस्व आयुक्त भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-785-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनाकं 5 से 16 दिसम्बर 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 दिसम्बर एवं 17, 18, दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का प्रभार श्री निशांत वरवड़े, कलेक्टर, जिला भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निशांत वरवड़े, आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्र. ई-1-65-2016-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग के आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2016 को सम्पन्न हुई थी. इसमें आवंटन वर्ष 2003 के एक अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा तो तत्समय कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत नहीं हुआ था और वे प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं थे, अतः उनका नाम उक्त छानबीन समिति के समक्ष विचारण हेतु नहीं रखा जा सका था.

2. राज्य शासन के आदेश दिनांक 29 जुलाई 2016 द्वारा उन्हें काल्पनिक तिथि अर्थात् 1-1-2012 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत किया गया है तथा पदोन्नति का वास्तविक लाभ उनकी भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक अर्थात् 24 नवम्बर 2015 से दिया गया है. श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति की उपयुक्तता के लिए रिव्यू छानबीन समिति की बैठक दिनांक 21 अक्टूबर 2016 को सम्पन्न हुई. समिति द्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे (2003), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400—67000+ग्रेड पे 8700) सातवें वेतनमान में पे मेट्रिक्स के लेवल 13 अनुसार) स्वीकृत किया जाता है.

4. श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे (2003) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को उपरोक्तानुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप इस आदेश के प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस., सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर को दिनांक 1 से 9 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 10, 11 दिसम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-573-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 21 से 24 दिसम्बर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी. मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथोरिटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा उक्त से प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-834-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस., विकअ-सह-सचिव, राज्य सूचना आयोग को दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 नवम्बर 2016 एवं दिनांक 19, 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी उईके, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-सचिव, राज्य सूचना आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्र. एफ 3-01-2016-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प.ब.-एक, तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में संसदीय एवं विधान सभा उप चुनाव 2016 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ (2) में विर्निदिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

2. क्रमांक एफ 3-01-2016-1-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि संसदीय एवं विधान सभा उप चुनाव 2016 के लिये मतदान के दिन दिनांक 19 नवम्बर 2016 (शनिवार) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:—

अनुसूची

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1)	मतदान की तारीख (2)
जिला शहडोल अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर के 12-शहडोल (अ.ज.जा.) संसदीय एवं 179-नेपानगर (अ.ज.जा.) (विधान सभा).	19 नवम्बर 2016 (शनिवार).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. एफ 1-109-2016-ब-2-दो.—श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा 36 Asian & Pacific Confrence of Correctional Administrators (APCCA) to be held at Tiajin China from 16-21 October 2016 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2016 तक 4 दिवस अर्जित अवकाश के साथ विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति प्रदान की जाती है.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2016

क्र. एफ 31-3-2014-दो-ए (3).—विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 31-3-2009-दो-ए(3), भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के व्यवस्थापन एवं पुनर्वास हेतु गठित समामेलित विशेष निधि की राज्य प्रबंध समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्य मेजर जनरल एस. आर. सिन्हो एवं श्री आर. एन. प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को राज्य शासन एतद्द्वारा अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत करता है:—

1. मेजर जनरल, पी. एन. त्रिपाठी (से.नि.),
   मकान नं. 329, सेक्टर बी, रक्षाविहार, भोपाल.
2. मेजर जनरल, पी. एन. त्रिपाठी (से.नि.),
   मकान नं. 329, सेक्टर बी, रक्षाविहार, भोपाल.

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने केदिनांक से 02 वर्ष की अवधि के लिये होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2016

फा. क्र. 17-(ई)-83-2003-इक्कीस-ब-(एक)-3892-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 36, 70 एवं 88 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
3	अनूपपुर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री प्रदीप मित्तल, द्वितीय अपर सेशन न्ययाधीश, अनूपपुर.
36	गुना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 गुना.	श्री ओंकार नाथ, विशेष न्ययाधीश, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 गुना.
70	रायसेन	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन	श्री रमेश साहू, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन.
88	सीहोर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, नसरूल्लागंज	श्री मोहम्मद मूसा खान, द्वितीय अपर सेशन नसरूल्लागंज.

F. No. 17(E) 83-2003-XXI-B(one)-3892-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial numbers 3, 36, 70 and 88 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Anuppur	IInd Additional Sessions Judge, Anuppur.	Shri Pradeep Mittal, IInd Additional Sessions Judge, Anuppur.
36.	Guna	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Guna.	Shri Omkarnath, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Guna.

(1)	(2)	(3)	(4)
70.	Raisen	IIIrd Additional Sessions Judge, Raisen.	Dr. Ramesh Sahu, IIIrd Additional Sessions Judge, Raisen.
88.	Sehore	IInd Additional Sessions Judge, Nasrullaganj.	Shri Mohd. Moosa Khan, IInd Additional Sessions Judge, Nasrullaganj''.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2016

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक)-3895-2016.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2, 33, 36, 41, 43, 47-1 तथा 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
''2.	श्री एस. बी. वर्मा, दशम् अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.	उज्जैन	उज्जैन
33.	श्री ओमकार नाथ, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, गुना.	गुना	गुना
36.	श्री राजेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, राजगढ़ (ब्यावरा).	राजगढ़ (ब्यावरा)	राजगढ़ (ब्यावरा)
41.	श्री अरूण कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी
43.	श्री विजय कुमार पाण्डे (सीनि.), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मण्डला.	मण्डला	मण्डला
47-1.	श्री अजय प्रकाश मिश्र, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कटनी.	कटनी	कटनी
50.	श्री प्रदीप मित्तल, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.	अनूपपुर	अनूपपुर''.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1) 3895-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B (I), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated the 17th April 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 2, 33, 36, 41, 43, 47-1 and 50 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name and designation of the Judge	Special Court	Local area Session division
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Shri S. B. Verma, Xth Additional Sessions Judge, Ujjain	Ujjain	Ujjain
33.	Shri Omkarnath, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Guna.	Guna	Guna
36.	Shri Rajesh Kumar Gupta, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Rajgarh (Bioara).	Rajgarh (Bioara)	Rajgarh (Bioara)
41.	Shri Arun Kumar Verma, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shivpuri.	Shivpuri	Shivpuri
43.	Shri Vijay Kumar Pandey, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandla.	Mandla	Mandla
47-1.	Shri Ajay Prakash Mishr, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Katni.	Katni	Katni
50.	Shri Pradeep Mittal, IInd Additional Sessions Judge, Anuppur.	Anuppur	Anuppur".

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2016

फा. क्र. 1 अ-1-15-21-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में नियुक्त समस्त निम्नलिखित विधि अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक 1 अगस्त 2016 से उनके कार्यकाल समाप्ति या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है:—

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
	अतिरिक्त महाधिवक्ता	
1	श्री विशाल मिश्रा	अतिरिक्त महाधिवक्ता
	उप महाधिवक्ता	
1	श्रीमती अमी प्रवल सोलंकी	उप महाधिवक्ता
	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता	
1	श्री चन्द्रसेन रोमन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री भानु प्रताप सिंह चौहान	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री प्रवीण नेवास्कर	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
4	सुश्री निधि पाटनकर	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
5	श्री गिरधारी सिंह चौहान	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
6	श्री कमल जैन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
7	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
8	श्री हरीश दीक्षित	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता	
1	श्री राजकुमार अवस्थी	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
2	डॉ. अंजली ज्ञानानी	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2016

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-4239-2016.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु.-क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"20.	श्री शिवराज सिंह गवली, षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	दमोह	दमोह	दमोह	दमोह."

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-4239-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(I) 2251-13, dated 10th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 20 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"20.	Shri Shivraj-Singh Gawli, VIth Civil Judge, Class-II.	Damoh	Damoh	Damoh	Damoh

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 01), राज्य शासन, श्री गौरव गर्ग पिता राकेश गर्ग, को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 9 अगस्त, 1987 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक) 3331.—(मेरिट क्र. 03), राज्य शासन, श्री शरद जोशी पिता श्री सत्येन्द्र जोशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 06 जून 1988 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 07), राज्य शासन, सुश्री रिनी खान पिता श्री अतीक अहमद खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 21 अक्टूबर, 1988 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 08), राज्य शासन, श्री चैतन्य अनुभव चौबे पिता श्री कृष्ण कुमार चौबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 25 अगस्त 1986 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 12), राज्य शासन, श्री तनवीर खान पिता अब्दुल रशीद खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 13 अक्टूबर, 1989 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 14), राज्य शासन, सुश्री शिवांगी श्रीवास्तव पिता श्री एन. के. श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450— 1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त, 1991 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 17), राज्य शासन, श्री भारत सिंह रघुवंशी पिता श्री परमाल सिंह रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450— 1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अशोकनगर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 05 मई, 1991 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 18), राज्य शासन, सुश्री अंकिता श्रीवास्तव पिता श्री शम्भू दयाल श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450— 1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर 1989 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 24), राज्य शासन, सुश्री रेनू यादव पिता सभापति यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450— 1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 05 अगस्त, 1988 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 27), राज्य शासन, श्री नदीम जावेद खान पिता अफसर जावेद खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450— 1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 24 अक्टूबर, 1992 है.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2016

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 58), राज्य शासन, श्री वेदप्रकाश सगर पिता श्री छबिराम सगर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450— 1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई, 1988 है.

फा. क्र. 1 अ-1-15-21-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में नियुक्त समस्त निम्नलिखित विधि अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक 1 अगस्त 2016 से उनके कार्यकाल समाप्ति या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है:—

अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुनील जैन	अतिरिक्त महाधिवक्ता

उप महाधिवक्ता

1	श्री उमेश गजांकुश	उप महाधिवक्ता
2	श्री पुष्यमित्र भार्गव	उप महाधिवक्ता

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

1	श्री योगेश मित्तल	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री मिलिन्द कुमार फडके	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री संजय कारंजावाला	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
4	श्री पंकज वाधवानी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
5	श्री रोमेश दवे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
6	श्री रोहित कुमार मंगल	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
7	श्री भुवन देशमुख	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

1	श्रीमती ममता शांडिल्य	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.

(1)	(2)	(3)
2	श्री सी. एस. उज्जैनिया	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री प्रसन्ना भटनागर	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
4	श्री पियूष जैन	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
5	श्री अभिषेक सोनी	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2016

फा. क्र 2504-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अगस्त 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सुशील कुमार पटेल, नोटरी, तहसील-पंधाना, जिला खण्डवा के नाम को विलोपित करते हुए उनके नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र को दिनांक 1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2020 तक नवीनीकृत मान्य करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सोनी, अतिरिक्त सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्र. एफ 6-2-2016-अट्ठावन.—भारत सरकार, कृषि, सहकारिकता एवं किसान कल्याण विभाग की यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (**UPIS**) का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए चयनित निम्नानुसार बीमा कम्पनियां अपने-अपने क्लस्टर अंतर्गत समस्त जिलों में करेंगी. यह स्कीम कृषकों के लिए ऐच्छिक आधार पर रहेगी:—

कलस्टर	कलस्टर में शामिल जिले	बीमा कंपनी
(1)	(2)	(3)
कलस्टर-A	बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, झाबुआ, बैतूल, नीमच, हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, शहडोल, उमरिया.	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
कलस्टर-B	देवास, आगर-मालवा, गुना, राजगढ़, सिवनी, अशोकनगर, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी.	इफको टोक्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
कलस्टर-C	उज्जैन, बड़वानी, ग्वालियर, रतलाम, अलीराजपुर, भिण्ड, दतिया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी.	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
कलस्टर-D	इन्दौर, सागर, सीहोर, अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, बालाघाट.	चोला मण्डलम् जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
कलस्टर-E	खरगौन, धार, जबलपुर, खंडवा, छिन्दवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, डिंडौरी.	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.

2. यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (**UPIS**) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों का लाभ ऐच्छिक रूप से किसान द्वारा लिया जावेगा. योजना अन्तर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिए माना जावेगा.

3. यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (**UPIS**) में सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	अनुभाग	प्रयोजन	बीमित राशि (रु.)	संकेतिक प्रीमियम राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	लाभ (प्रति व्यक्ति) (अ) दुर्घटना से मृत्यु रुपये 2,00,000 (ब) स्थाई पूर्ण दिव्यांगता रुपये 2,00,000 (स) एक अंग/आंख की क्षति रुपये 1,00,000	2,00,000	रु. 12/- प्रति व्यक्ति
2	जीवन बीमा	मृत्यु जोखिम रुपये 2,00,000 (प्रति व्यक्ति)	2,00,000	रु. 330/- प्रति व्यक्ति
3	आगजनी तथा संबंधित जोखिम.	(अ) आवासीय भवन	50,000	रु. 40/- (सेवाकर अतिरिक्त)
		(ब) घरेलू सामग्री बीमा (गहने छोड़कर)	20,000	रु. 20/- (सेवाकर अतिरिक्त)
4	कृषि पंप सेट बीमा	विद्युत्/डीजल पंप सेट 10 हार्स पॉवर तक	25,000	रु. 438/- (सेवाकर अतिरिक्त)
5	विद्यार्थी सुरक्षा बीमा	लाभ (माता पिता/विद्यार्थी के लिये) (सुरक्षा बीमा प्रति विद्यार्थी). (अ) दुर्घटना से मृत्यु रुपये 50,000 (प्रति माता पिता/विद्यार्थी). (ब) पूर्ण स्थायी दिव्यांगता रुपये 50,000 (प्रति विद्यार्थी). (स) एक अंग/आंख की क्षति रुपये 25,000 (प्रति विद्यार्थी). (द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर रुपये 5,000 (प्रति विद्यार्थी).	50,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी (सेवाकर अतिरिक्त).
6	कृषि ट्रेक्टर बीमा			कृषि ट्रेक्टर हेतु स्टेण्डर्ड मोटर बीमा पॉलिस भारत सरकार की (**UPIS**) गाईड-लाईन के अनुसार नियम लागू होंगे.

4. अन्य सभी नियम/निर्देश भारत सरकार की यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (**UPIS**) गाईड-लाईन के अनुसार लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्र. एफ 3-100-18-5-2016.—एतद्द्वारा कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. 33-47/जि.यो.स./स.जि.प्र./2002, दिनांक 14 जनवरी 2003 के द्वारा ओंकारेश्वर विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनिमय, 1973 की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत गठित समिति को ओंकारेश्वर विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार पुर्नगठित किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

अधिनियम की की धारा 17-क(1) की उपधारा		पदनाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
(1)		(2)	(3)	(4)
क		अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, ओंकारेश्वर	सदस्य
ख		अध्यक्ष	जिला पंचायत, खण्डवा	सदस्य
ग		संसद सदस्य	संसदीय क्षेत्र खण्डवा	सदस्य
घ		विधायक	विधान सभा क्षेत्र मांधाता	सदस्य
ड		अध्यक्ष	लागू नहीं	सदस्य
च		अध्यक्ष	जनपद पंचायत, पुनासा	सदस्य
छ		सरपंच	लागू नहीं	सदस्य
ज	1.	कलेक्टर	जिला खण्डवा	सदस्य
	2.	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग, खण्डवा	सदस्य
	3.	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्डवा.	सदस्य
	4.	वन मण्डल अधिकारी	वन विभाग, जिला खण्डवां	सदस्य
	5.	प्रतिनिधि	कॉउन्सिल ऑफ ऑर्किटेक्चर इण्डिया	सदस्य
	6.	प्रतिनिधि	इंस्टीटयूट ऑफ टाउनप्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	7.	प्रतिनिधि	इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया	सदस्य
झ		समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर म. प्र.	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016

संशोधन

क्र. एफ 25-98-2016-दस-3.—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 सितम्बर 2016 के हिन्दी संस्करण में मुद्रित (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार 1. को निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाये:—

''पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/8-02/2014-एफसी, दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंगढ़ जिला राजगढ़ की स्वीकृत परियोजना कुण्डालिया जलाशय में प्रभावित 275.27 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 275.656 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से 23.706 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित भूमि 275.656 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म. प्र. शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक 12815/6/प्रवाचक-1/2012, दिनांक 3-12-2012 से हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल के सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्र. एफ-1-3-16-रा.स.-यू.ए.1-1340.—राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्र. 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु ''प्रौद्योगिकी शिक्षा'' के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

1.	डॉ. ईश्वर सिंह चौहान, (भारत के पूर्व उच्चायुक्त एवं पूर्व कुलपति) भोपाल (म. प्र.).	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2.	प्रो. बी. एस. सोन्दे, (पूर्व कुलपति, गोवा विश्वविद्यालय), बैंगलौर कर्नाटक).	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामांकित.
3.	डॉ. रवि बी. ग्रोवर, निदेशक, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई (महाराष्ट्र).	समिति के सदस्य	कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित

(2) कुलाधिपति के द्वारा डॉ. ईश्वर सिंह चौहान को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,
अजय तिर्की, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

आदेश

क्रमांकः एफ—87—107/15/ग्यारह/462.— मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा—32—क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32—ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014" म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह—दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा, जिला—सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री **अजय कुमार डोहर** भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, जैतवारा, जिला —सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32— ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015

तक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी,सतना म.प्र. के समक्ष दाखिल करना था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म0प्र0) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट–छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री **अजय कुमार डोहर** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, परन्तु विधि अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया । अर्थात् बैंक से लेन–देन नहीं किया गया । और न ही निर्वाचन व्ययों के लिए बैंक खाता खोला गया ।

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा ''ग'' में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।

अभ्यर्थी, श्री अजय कुमार डोहर के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना से अभ्यर्थी के व्यय लेखों के संबंध में बैंक से लेन–देन नहीं करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया ।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि–इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी, श्री डोहर को जिला कार्यालय की ओर से सूचना–पत्र जारी किया गया, पर अभ्यर्थी की ओर से सूचना–पत्र का जवाब जिला कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया । इसके साथ ही श्री अजय कुमार डोहर, अध्यक्ष, नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना द्वारा इसके उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभ्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि– उनके द्वारा निर्वाचन व्यय हेतु खाता संधारित नहीं किया गया था घर पर रखे पैसे से लेन–देन किया गया था, जिसका कि व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया था ।

इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, **श्री अजय कुमार डोहर** को इस संबंध में सूचना–पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।

अभ्यर्थी, श्री अजय कुमार डोहर सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए । व्यक्तिगत सुनवाई के दरमियान श्री डोहर निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में बैंक से लेने–देन नहीं करने के संबंध में कोई संतोषजनक तथ्य् प्रकट नहीं कर सके ।

इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से **श्री अजय कुमार डोहर के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।**

दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री डोहर के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन–देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, पर अभ्यर्थी, श्री अजय कुमार डोहर द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, जो आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री डोहर के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा–32–ग के उपबन्धो के अन्तर्गत **अभ्यर्थी, श्री अजय कुमार डोहर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना (म.प्र.)** का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से **05 (पांच)** वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

आदेश

कमांकः एफ–87–107/15/ग्यारह/ 463.– मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32–क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32–ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014'' म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह–दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री **बैजनाथ साकेत** भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, जैतवारा, जिला –सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32– ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी,सतना म.प्र. के समक्ष दाखिल करना था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म0प्र0) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट–छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री **बैजनाथ साकेत** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का

लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया ।

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा ''ग'' में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।

अभ्यर्थी, श्री **बैजनाथ साकेत** के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना–पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि–इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी, श्री साकेत को जिला कार्यालय की ओर से सूचना–पत्र जारी किया गया। इस संबंध में अभ्यर्थी श्री साकेत द्वारा जिला कार्यालय को जवाब प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने चुनाव के दौरान व्यय की गई राशि को अपने बैंक के खाता से आहरित नहीं करने के बजाय अपने सगे–संबंधियों से उधार लेकर किया गया ।

इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री **बैजनाथ साकेत** को इस संबंध में सूचना–पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।

अभ्यर्थी, श्री बैजनाथ साकेत सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए ।

इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री **श्री बैजनाथ साकेत के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए ।**

दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री साकेत के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन–देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, पर अभ्यर्थी, **श्री बैजनाथ साकेत** द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, जो आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा–32–ग के उपबन्धो के अन्तर्गत **अभ्यर्थी, श्री बैजनाथ साकेत** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना (म.प्र.)** का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से **05 (पांच)** वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

आदेश

कमांकः एफ–87–107/15/ग्यारह/464.– मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32–क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32–ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014'' म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह–दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री **रामबेटा बर्मा** भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, जैतवारा, जिला –सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32– ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी,सतना म.प्र. के समक्ष दाखिल करना था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म0प्र0) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट–छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री **रामबेटा बर्मा** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल

नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए । और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया ।

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा "ग" में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।

अभ्यर्थी, श्री **रामबेटा बर्मा** के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना–पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि–इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी, श्री साकेत को जिला कार्यालय की ओर से सूचना–पत्र जारी किया गया। इस संबंध में अभ्यर्थी श्री बर्मा द्वारा जिला कार्यालय को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री **रामबेटा बर्मा** को इस संबंध में सूचना–पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।

अभ्यर्थी, श्री रामबेटा बर्मा सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए, पर व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कोई ठोस तथ्य् प्रकट कर सके, जो आयोग के लिए समाधानकारक हो । साथ ही उनके द्वारा इस संबंध में जो अभ्यावेदन दिनांक 20/9/2016 आयोग को प्रस्तुत किया गया उसे भी आयोग द्वारा समाधानकारक नहीं पाया गया ।

इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री **श्री रामबेटा बर्मा के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।**

दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री **बर्मा** के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन–देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, पर अभ्यर्थी, **श्री रामबेटा बर्मा** द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, जो आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा–32–ग के उपबन्धो के अन्तर्गत **अभ्यर्थी, श्री रामबेटा बर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना (म.प्र.)** का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से **05 (पांच)** वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

आदेश

कमांकः एफ–87–107/15/ग्यारह/466.– मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32–क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32–ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014'' म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह–दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री **इन्द्रपाल प्रजापति** भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, जैतवारा, जिला –सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32– ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी,सतना म.प्र. के समक्ष दाखिल करना था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म0प्र0) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट–छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री **इन्द्रपाल प्रजापति** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल

नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया ।

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा ''ग'' में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।

अभ्यर्थी, श्री **इन्द्रपाल प्रजापति** के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना–पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि–इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी, श्री साकेत को जिला कार्यालय की ओर से सूचना–पत्र जारी किया गया। इस संबंध में अभ्यर्थी श्री प्रजापति द्वारा जिला कार्यालय को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । (पी0 48/सी.)

इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री **इन्द्रपाल प्रजापति** को इस संबंध में सूचना–पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।

अभ्यर्थी, श्री इन्द्रपाल प्रजापति सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए ।

इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री **श्री इन्द्रपाल प्रजापति के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।**

दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री **प्रजाति** के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन–देन नहीं किया गया और न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, पर अभ्यर्थी, **श्री इन्द्रपाल प्रजापति** द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, जो आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा–32–ग के उपबन्धो के अन्तर्गत **अभ्यर्थी, श्री इन्द्रपाल प्रजापति** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना (म.प्र.)** का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से **05 (पांच)** वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

आदेश

कमांकः एफ–87–107/15/ग्यारह/466.– मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32–क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32–ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014'' म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह–दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री **कल्लू मेहतर** भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, जैतवारा, जिला –सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32– ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी,सतना म.प्र. के समक्ष दाखिल करना था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म0प्र0) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट–छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री **कल्लू मेहतर** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल

नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए और न ही निर्वाचन व्ययों के लिए बैंक खाता खोला गया ।

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा ''ग'' में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।

अभ्यर्थी, श्री **कल्लू मेहतर** के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना को जिला स्तर परं व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना–पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि–इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी, श्री साकेत को जिला कार्यालय की ओर से सूचना–पत्र जारी किया गया। इस संबंध में अभ्यर्थी श्री कल्लू मेहतर द्वारा जिला कार्यालय को जवाब प्रस्तुत किया गया कि–चुनाव के दौरान व्यय राशि को अपने बैंक के खाता से आहरित नहीं करने के बजाय अपने सगे–संबंधियों से उधार लेकर खर्च किया ।

इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री **कल्लू मेहतर** को इस संबंध में सूचना–पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।

अभ्यर्थी, श्री कल्लू मेहतर सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए ।

इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री **श्री कल्लू मेहतर के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।**

दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री **कल्लू मेहतर** के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन–देन नहीं किया गया न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया । यही बात उन्होंने अपने अभ्यावेदन दिनांक 17/8/15 में दोहराई ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, पर अभ्यर्थी, **श्री कल्लू मेहतर** द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, जो आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा–32–ग के उपबन्धो के अन्तर्गत **अभ्यर्थी, श्री कल्लू मेहतर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना (म.प्र.)** का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से **05 (पांच)** वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

आदेश

कमांकः एफ–87–107/15/ग्यारह/467.– मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32–क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32–ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014" म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह–दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री **रामनाथ जाटव** भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, जैतवारा, जिला –सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32– ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी,सतना म.प्र. के समक्ष दाखिल करना था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म0प्र0) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट–छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री **रामनाथ जाटव** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल

नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए और न ही निर्वाचन व्ययों के लिए बैंक खाता खोला गया ।

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा ''ग'' में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।

अभ्यर्थी, श्री **रामनाथ जाटव** के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना–पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि–इस संबंध में अभ्यर्थी, श्री रामनाथ जाटव द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री **रामनाथ जाटव** को इस संबंध में सूचना–पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।

अभ्यर्थी, श्री रामनाथ जाटव सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए, पर सुनवाई के दरमियान कोई ऐसा ठोस तथ्य् प्रकट कर सके जो आयोग के लिए समाधानकारक हो । साथ ही उनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 20/9/16 भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत करना बताया गया ।

इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री **श्री रामनाथ जाटव के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।**

दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री **रामनाथ जाटव** के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन–देन नहीं किया गया न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया। यही बात उन्होंने अपने अभ्यावेदन दिनांक 17/8/15 में दोहराई ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, पर अभ्यर्थी, **श्री राजनाथ जाटव** द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, जो आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा–32–ग के उपबन्धो के अन्तर्गत **अभ्यर्थी, श्री रामनाथ जाटव** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना (म.प्र.)** का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से **05 (पांच)** वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./–
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

आदेश

कमांकः एफ–87–107/15/ग्यारह/ 468.— मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32–क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32–ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014" म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह–दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री **ललित किशोर कोरी** भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, जैतवारा, जिला –सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32– ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी,सतना म.प्र. के समक्ष दाखिल करना था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म0प्र0) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट–छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री **ललित किशोर कोरी** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, पर विधि अपेक्षित रीति से

दाखिल नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए । अर्थात् बैंक से लेन–देन नहीं किया गया और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया ।

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा "ग" में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।

अभ्यर्थी, श्री **ललित किशोर कोरी** के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना–पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि–इस संबंध में अभ्यर्थी, श्री ललित किशोर कोरी द्वारा जबाव में बताया गया कि चुनाव के दौरान व्यय की गई राशि को अपने बैंक के खाता से आहरित नहीं करने के बजाय अपने सगे–संबंधितों से उधार लेकर किया । यही बात श्री कोरी द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 17/8/2015 में दोहराई गई।

इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री **ललित किशोर कोरी** को इस संबंध में सूचना–पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।

अभ्यर्थी, श्री ललित किशोर कोरी सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए ।

इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री **श्री ललित किशोर कोरी के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।**

दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री **ललित किशोर कोरी** के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन–देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, पर अभ्यर्थी, **ललित किशोर कोरी** द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, जो जो आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा–32–ग के उपबन्धो के अन्तर्गत **अभ्यर्थी, ललित किशोर कोरी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना (म.प्र.)** का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से **05 (पांच)** वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./–
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

आदेश

कमांकः एफ–87–107/15/ग्यारह/469.— मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32–क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32–ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014'' म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह–दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री **श्यामलाल** भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, जैतवारा, जिला –सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32– ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, अध्यक्ष

पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी,सतना म.प्र. के समक्ष दाखिल करना था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म0प्र0) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट–छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री **श्यामलाल** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, परन्तु विधि अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया । अर्थात् बैंक से लेन–देन नहीं किया गया । और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया ।

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा ''ग'' में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।

अभ्यर्थी, श्री **श्यामलाल** के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना से अभ्यर्थी के व्यय लेखों के संबंध में बैंक से लेन–देन नहीं करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया ।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि–इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी, श्री **श्री श्यामलाल** को जिला कार्यालय की ओर से सूचना–पत्र जारी किया गया, इस पर अभ्यर्थी श्री श्यामलाल द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि– चुनाव के दौरान व्यय की गई राशि को अपने बैंक के खाता से आहरित नहीं करने के बजाय अपने सगे–संबंधियोंसे उधार लेकर करना बताया ।

इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, **श्री श्यामलाल** को इस संबंध में सूचना–पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।

अभ्यर्थी, श्री श्यामलाल सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए ।

इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री **श्री श्री श्यामलाल के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।**

दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, **श्री श्यामलाल** के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन–देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, पर अभ्यर्थी, **श्री श्यामलाल** द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, जो आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री **श्री श्यामलाल** के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा–32–ग के उपबन्धो के अन्तर्गत **अभ्यर्थी, श्री श्यामलाल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, जैतवारा, जिला–सतना (म.प्र.)** का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से **05 (पांच)** वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. 548-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)2014-सात-शा.2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	करसरा	0.432	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना (म. प्र.).	बठिया-करसरा-बरेठी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्र. 2415-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा मुख्य नहर की माइनर, सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	अकौना	0.700	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहरों के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग . .	0.700		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2419-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा मुख्य नहर की माइनर, सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	इटौर	0.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहरों के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग	0.500		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2421-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा मुख्य नहर एवं माइनर, सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	अबेर	1.25	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर एवं माइनर सब-माइनर नहरों के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग	1.25		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2423-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि कुबरी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कुबरी	1.25	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग	1.25		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2425-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि कुबरी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मेंहुती	0.800	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग	0.800		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2427-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पवैया सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पतौड़ा	0.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की पवैया सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग	0.75		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2429-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि अकौनी माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	डगडीहा	1.45	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर एवं उसकी सब माइनर नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग	1.45		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2431-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि अकौना माइनर, एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सोहास	1.60	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर एवं उसकी सब माइनर नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग	. . 1.60		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2433-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि अकौना माइनर, एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	कुंआ	. 1.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर एवं उसकी सब माइनर नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग	. . 1.75		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्र. 981-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

इलेक्ट्रिक रेल्वे ट्रेक्शन हेतु 132 के. व्ही. सप्लाई वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय करने हेतु ग्राम किसरोद तहसील शहपुरा जिला जबलपुर की निजी भूमि में स्थापित 131 के. बी. उपकेन्द्र में एक अतिरिक्त 132 के.व्ही.वे. के निर्माण हेतु उपकेन्द्र से सटी हुई है उक्त निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (12) के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	किसरोद	0.16	भू-अर्जन अधिकारी, पाटन	इलेक्ट्रिक रेल्वे ट्रेक्शन हेतु 132 के.व्ही. सप्लाई वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय करने हेतु उपकेन्द्र के विस्तारीकरण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में एवं कार्यपालन अभियंता अति उच्च दाब निर्माण संभाग दो मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 2257-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—कोलगढ़ 110

(घ) क्षेत्रफल—1.966 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
235	0.180
237	0.030
234	0.288
238	0.003
226	0.098
224	0.052
223	0.127
221	0.069
173	0.032
174	0.169
172	0.001
171	0.025
170	0.049
180	0.222
181	0.011
182	0.092
183	0.093
184	0.098
187	0.202
185	0.046
186	0.012
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.899
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
222	0.067
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.067
अ + ब का योग . .	1.966

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 6" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2319-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—पतैला 342

(घ) क्षेत्रफल—0.486 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
53	0.068
52	0.104
50	0.182
51	0.058
4	0.003

(1)	(2)
2	0.065
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.480
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
3	0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.006
अ + ब का योग . .	0.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

रीवा, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्र. 2417-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—किटहा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.288 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
786	0.012
790	0.012
793	0.128
794	0.136
योग . .	0.288

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना की मढ़ी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2435-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—बेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.129 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1592	0.032
1596	0.211
1597	0.288
1599	0.125
1603	0.024
1604	0.066
1605	0.080
1606	0.110
1607	0.144
1608	0.050
1623	0.036
1624	0.104
1643	0.076
1644	0.044
1645	0.141
1651	0.074
1652	0.038
2528	0.010
2659	0.141
2661	0.026

(1)	(2)
2663	0.016
2664	0.163
2665	0.122
2666	0.163
2697	0.114
2707	0.007
2708	0.048
2709	0.034
2710	0.014
2711	0.110
2712	0.154
2713	0.149
2715	0.067
2727	0.118
2736	0.135
2719/4068	0.019
2801	0.040
2802	0.448
2803	0.056
2804	0.126
2811	0.024
2810	0.163
2812	0.094
2817	0.476
2818	0.084
2819	0.060
2820	0.048
2821	0.056
2822	0.080
2823	0.045
2833	0.109
2834	0.019
2849	0.080
2850	0.070
2851	0.012
2852	0.072
2853	0.212
2862	0.221
2863	0.043
2868	0.062
2878	0.017
2881	0.264
2894	0.083
2896	0.053
2882	0.048
2891	0.100
2892	0.081
2893	0.118
2966	0.084
2967	0.030
2968	0.030
2969	0.115
2989/3989	0.051
2989/3989	0.051
2997/3989	0.051
योग . .	7.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना की मढ़ी-सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2437-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम—छिबौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.801 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
75	0.064
211	0.030
212	0.046
213	0.089

(1)	(2)
214	0.027
217	0.052
218	0.045
219	0.140
220	0.124
233	0.012
235	0.064
236	0.140
237	0.115
238	0.339
250	0.191
251	0.006
350	0.060
352	0.122
353	0.038
354	0.010
355	0.026
362	0.017
363	0.045
404	0.160
414	0.060
419	0.022
420	0.053
421	0.021
422	0.096
423	0.082
425	0.026
426	0.059
458	0.014
459	0.123
461	0.090
465	0.031
676	0.262
477	0.006
478	0.006
491	0.013
492	0.044
493	0.096
499	0.069
501	0.020
830	0.036
877	0.102
884	0.010
885	0.278
897	0.109
898	0.048
899	0.532
900	0.096
928	0.051
929	0.032
930	0.062
931	0.063
949	0.012
1026	0.396
1049	0.048
1050	0.058
1051	0.021
1055	0.074
1056	0.083
1058	0.064
1059	0.166
1060	0.028
1061	0.054
1063	0.072
1064	0.039
1065	0.058
1066	0.218
1097	0.112
1098	0.048
1099	0.071
1103	0.065
1104	0.005
1105	0.021
1106	0.028
1138	0.061
1139	0.050
1142	0.122
1143	0.088
1148	0.069
1150	0.096
योग . .	6.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना की मढ़ी-सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2439-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम—मढ़ी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.284 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
241	0.095
266	0.144
267	0.096
284	0.010
455	0.041
456	0.017
457	0.052
458	0.078
747	0.130
767	0.061
769	0.087
770	0.057
771	0.035
801	0.092
802	0.006
806	0.312
813	0.029
815	0.037
816	0.052
820	0.029
820/1004	0.007
823	0.043
824	0.028
825	0.010
826	0.057
967	0.024
968	0.025
969	0.039
975	0.053
976	0.060
978	0.161
978/1003	0.102
979	0.008
980	0.166
1057/979	0.041
योग . .	2.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना की मढ़ी-सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2441-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम—बर्ती

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.177 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1195	0.020
1276	0.091
1277	0.153
1284	0.081
1287	0.082
1288	0.034

(1)	(2)
1291	0.022
1302	0.031
1303	0.048
1304	0.010
1305	0.060
1306	0.034
1308	0.039
1309	0.074
1333	0.190
1334	0.045
1335	0.024
1336	0.027
1337	0.077
1913	0.020
1914	0.063
1915	0.036
1916	0.064
1920	0.026
1921	0.034
1922	0.082
1923	0.004
1927	0.101
1929	0.020
1931	0.067
1932	0.010
1934	0.077
1940	0.058
1941	0.034
1942	0.010
1954	0.039
1955	0.045
1956	0.035
1961	0.036
1962	0.042
1967	0.055
1968	0.036
1969	0.015
1970	0.041
1977	0.024
1978	0.058
1980	0.034
1981	0.008
1987	0.041
1990	0.046
1991	0.046
1992	0.058
1996	0.075
2079	0.020
2080	0.040
2081	0.060
2084	0.050
2085	0.030
2434	0.076
2435	0.075
2446	0.024
2456	0.110
2457	0.005
2458	0.010
2461	0.082
2462	0.067
2477	0.010
2479	0.082
2480	0.008
2482	0.042
2485	0.040
2486	0.082
2517	0.008
2518	0.021
2519	0.052
2520	0.048
2521	0.088
2522	0.047
32	0.048
1096	0.042
1098	0.037
1099	0.007
1101	0.037
1103	0.047
1104	0.013
1107	0.077
1116	0.144
1117	0.038
1118	0.010
1142/2557	0.158

(1)	(2)
1143	0.050
1144	0.006
1145	0.024
1156	0.004
1160	0.055
1161	0.052
1163	0.006
1164	0.106
2194	0.024
2195	0.040
2209	0.041
2211	0.032
2216	0.028
2217	0.022
2221	0.043
2222/2549	0.023
2223	0.029
2224	0.031
2226	0.012
2228	0.025
2229	0.048
2246	0.012
2297	0.018
2298	0.034
2299	0.112
2335	0.008
2336	0.101
2345	0.059
2346	0.120
865	0.077
866	0.067
869	0.015
891	0.168
905	0.019
906	0.073
907	0.051
909	0.067
910	0.058
911	0.043
924	0.081
926	0.048
927	0.039
932	0.048
934	0.055
2321	0.006
2322	0.101
2325	0.058
2323	0.086
2312	0.096
2313	0.008
2314	0.072
2327	0.027
2328	0.040
2329	0.040
2330	0.037
2332	0.051
2333	0.004
2334	0.040
2335	0.020
योग . .	7.177

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना की मढ़ी-सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2443-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—कौवाढ़ान 115

(घ) क्षेत्रफल—0.384 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
60	0.054
58	0.038
56	0.001
55	0.114
52	0.001
54	0.018
53	0.06
31	0.002
30	0.078
34	0.006
32	0.011
35	0.001
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.384
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2445-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—भीटा 474

(घ) क्षेत्रफल—0.911 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
219	0.108
227	0.018
228	0.102
229	0.050
238	0.043
230	0.085
231	0.002
277	0.003
276	0.045
278	0.049
279	0.116
274	0.005
300	0.025
301	0.020
272	0.063
302	0.019
304	0.003
25	0.110
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.866
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
303	0.031
243	0.014
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.045
अ + ब का योग . .	0.911

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2447-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—चदिहर 176

(घ) क्षेत्रफल—0.971 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
150	0.173
149	0.007
147	0.015
146	0.203
132	0.074
141	0.142
142	0.013
186	0.066
185	0.023
184	0.063
183	0.192
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.971
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.971

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2449-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—बंजारी 399

(घ) क्षेत्रफल—0.101 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
403	0.001
400	0.100
निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.101
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 6" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2451-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—पहाऊ 355

(घ) क्षेत्रफल—1.737 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
101	0.027
102	0.057
100	0.001
113	0.168
120	0.001
118	0.025
119	0.030
117	0.055
232	0.187
237	0.013
278	0.175
279	0.013
281	0.061
174	0.119
173	0.008
175	0.084
364	0.007
363	0.095
362	0.008
358	0.069
359	0.068
382	0.010
396	0.086
397	0.074
399	0.034
417	0.022
445	0.023
439	0.002
446	0.003
448	0.025
450	0.002
459	0.025
290	0.002
288	0.014
291	0.017
287	0.008
301	0.020
312	0.009
310	0.034
309	0.003
307	0.011
398	0.004
405	0.001
406	0.001
400	0.006
401	0.001
447	0.001
298	0.002
311	0.003
285	0.002
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.716
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
440	0.005
461	0.009
305	0.007
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.021
अ + ब का योग . .	1.737

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 3 एवं 4" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2453-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—पटना 328

(घ) क्षेत्रफल—1.045 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
250	0.005
251	0.084
247	0.147
430	0.039
431	0.008
432	0.010
429	0.020
428	0.012
427	0.003
426	0.121
424	0.006
423	0.138
491	0.001
422	0.037
489	0.071
419	0.001
158	0.008
179	0.037
164	0.030
151	0.034
150	0.105
149	0.037
173	0.028
174	0.015
286	0.006
161	0.012
301	0.002
273	0.013
निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.030
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
501	0.015
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.015
अ + ब का योग . .	1.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—''बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 2 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2455-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—चंदेहरी 177

(घ) क्षेत्रफल—0.449 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
126	0.022
127	0.041
121	0.026
122	0.014
120	0.099
115	0.005
116	0.139
108	0.019
109	0.005
110	0.038
113	0.014
107	0.001
निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.423
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
124	0.026
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.026
अ + ब का योग . .	0.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—''बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2457-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—गेरुई 166
(घ) क्षेत्रफल—0.747 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
314	0.022
316	0.133
322	0.061
308	0.061
328	0.143
327	0.001
329	0.048
335	0.049
334	0.107
168	0.012
317	0.013
333	0.097
निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.747
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 7" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्र. 519-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—अकौनी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.903 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
213/1/क	0.120
219	0.008
213/1/ख	0.120
203	0.081
204	0.040
202/3	0.005
202/2	0.044
202/1	0.073
196/2	0.153
106/1	0.040
106/2	0.057
106/4	0.057
108	0.040
107/1	0.081
111/4	0.040
114	0.112

(1)	(2)
113	0.016
115	0.250
118	0.088
120	0.170
122/2	0.210
122/239/1/क	0.033
122/239/1/ख	0.032
122/239/2/क	0.033
योग . .	1.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 520-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—बर्रेहबड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.220 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
359/1	0.220
योग . .	0.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अमरपाटन संभाग नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 521-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—जरमोहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.086 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
594	0.002
595	0.258
592	0.101
591	0.113
584/2	0.122
584/1/क	0.122
581	0.060
579	0.073
580	0.057
573/2	0.016
574	0.056
340	0.015
578	0.008
575	0.040
576	0.060
369	0.050
366	0.058
365	0.027
364/1	0.088
363	0.090
360	0.033
362	0.025
337	0.075
325	0.065
323	0.080
361	0.095

(1)	(2)
338/1	0.040
338/2	0.040
339/1	0.016
339/2	0.016
343	0.056
344	0.065
345	0.120
346	0.034
347	0.050
321	0.012
324/2	0.064
315/1	0.002
310	0.010
186/1	0.125
313	0.122
312	0.140
169/1	0.031
185/1	0.190
185/2	0.073
184	0.088
191/2	0.003
निजी खाता भूमि योग रकबा योग . .	3.086

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्र. 580-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—चकहट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.077 हेक्टर.

खसरा नं. नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
1	0.020
2	0.057
योग . .	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.-7 सतना के अन्तर्गत नागौद (सतना शाखा नहर के चकहटा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 5 नवम्बर 2016

क्र. 6088-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसकें द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर

(ग) ग्राम—महरोई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.032 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1क	1.147
67/1/क	0.055
3/1ख	1.147
67/1ख	0.055
3/2	2.298
3/3क	0.440
3/3ख	0.896
3/3ग	0.440
3/3घ	0.439
3/4क/1	0.837
3/4क/2	0.551
3/4क/3	0.551
3/4ख	0.177
3/4ग	0.105
3/5क	0.365
3/5ख	0.340
3/5ग	0.362
3/5घ	0.366
3/6क	0.361
3/6ख	0.361
3/6ग	0.361
3/6घ	0.360
3/7	1.489
5/1क	0.087
65/1क	0.010
5/1ख	0.087
65/1/ख	0.010
5/2	0.174
5/3क	0.089
5/3ख	0.085
5/4क	0.087
5/4ख	0.087
5/5	0.178
65/5	0.020
5/6	0.174
65/6	0.020
6/2	0.200
(1)	(2)
8/1	0.550
8/2	0.550
9/1	0.150
9/2	0.200
61/2	0.200
62/3	0.008
62/1क	0.004
62/1ख	0.004
62/1ग	0.004
62/2क	0.008
62/2ख	0.008
62/4	0.008
63/1	0.052
10/1	0.050
66/1ख/1	0.240
63/3क	0.024
10/3क	0.050
66/1ख/3क	0.100
63/3ख	0.024
10/3ख	0.050
66/1ख/3ख	0.100
63/4	0.052
10/4	0.050
66/1ख/4	0.200
63/5	0.052
10/5	0.712
66/1ख/5	0.200
63/6क	0.026
10/6क	0.025
66/1ख/6क	0.100
63/6ख	0.026
10/6ख	0.025
66/1ख/6ख	0.120
63/7	0.052
64/1क/1	0.100
64/1क/2	0.100
64/1ख	0.700
64/2	0.202
64/3क	0.425
64/3ख	0.150
65/2	0.020

(1)	(2)
65/4	0.020
65/3	0.020
66/1ख/2क	0.100
66/1ख/2ख	0.100
66/1ख/7	0.200
10/2क	0.020
10/2ख	0.010
10/7	0.030
योग . .	21.032

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—बेल्दी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.444 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1क	0.200
2/1ख/1	0.100
2/1ख/2	0.100
2/1ग	0.180
2/1घ/1	0.160
2/1घ/2	0.160
2/1घ/3	0.160
2/2क	0.450
2/2ख	0.450
3/1	0.200
5	0.020
8	0.020
9/1क	0.140
9/1ख	0.140
9/2	0.210
11/1	0.010
11/2	0.130
11/3क	0.020
16/1क	0.120
11/3ख	0.020
16/1ख	0.100

(1)	(2)
11/3ग	0.020
16/2	0.080
15/4	0.020
192/4	0.085
15/5	0.100
44/1	0.200
49	0.080
16/3	0.072
18/1	0.020
18/2	0.020
19	0.008
20	0.010
21/1	0.010
21/2	0.010
25/1	0.020
25/2	0.020
25/3	0.020
25/4	0.020
26/1	0.020
37/1क	0.050
26/2	0.020
37/1ख	0.050
26/3	0.021
37/1ग	0.050
27	0.553
28/1क/1/1	0.020
28/1क/1/2	0.020
28/1क/1/3	0.020
28/1क/2	0.020
28/1ख	0.050
28/2	0.100
30/2	0.300
245/1	0.405
31/2	0.040
35/1क	0.200
46/2	0.070
35/1ख	0.080
35/2ख	0.020
35/2क	0.080
36/2	0.020
37/2	0.040

(1)	(2)
40/2	0.030
37/3	0.100
37/4क	0.020
39/1	0.150
37/4ख	0.020
39/2	0.020
37/4ग	0.020
39/3	0.020
38	0.150
47/1	0.512
44/1223/1	0.162
44/1223/2	0.304
44/1	0.200
44/2	0.100
45/1	0.121
47/2	0.100
46/1	0.030
47/3	0.050
50/1ख	0.180
51	0.283
202	0.539
203/1	0.294
52/1क	0.100
52/1ख	0.100
192/1	0.100
192/5	0.100
192/2	0.085
193	0.100
192/3	0.085
195/1क/1	0.200
195/1क/3	0.060
195/1ख/1	0.060
195/1ग/2	0.060
195/1क/2	0.200
201/1	0.405
201/2	0.300
195/1ख/2	0.360
196/2	0.200
195/1ग/1	0.200
195/1ग/3	0.150
195/2	0.040
201/3	0.405
203/2	0.200
225/1	0.460
225/2	0.220
246	0.100
1/2	0.405
4/1	0.050
4/2	0.050
4/4	0.040
4/3	0.100
232/2	0.200
232/3	0.200
245/2	0.300
251	0.250
योग . .	15.444

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया

(ख) तहसील—मानपुर

(ग) ग्राम—कुडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.219 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
119/1ख	0.202
119/2ग	0.008
123/1	0.080
119/4	0.101
119/5	0.122
120/1क	0.160
120/1ख	0.100
120/1ग	0.020
120/2क/1	0.160
120/2ख	0.100
394/2क	0.122
120/2क/2	0.100
120/2क/3	0.160
120/3	0.020
123/2क	0.040

(1)	(2)
123/2ख	0.020
123/2ग	0.020
123/3	0.080
125/2	0.080
155/1	0.099
157	0.100
160/3	0.020
126/1	0.110
126/2क	0.055
155/2क	0.049
163/2क	0.126
126/2ख	0.055
155/2ख	0.010
126/3क	0.080
156/1	0.012
126/3ख	0.028
156/2	0.004
163/2ख	0.128
165	0.150
160/1	0.050
177/1क/1	0.099
177/2	0.109
178/1क	0.010
179/1क	0.250
179/2क	0.040
177/1क/ख	0.050
178/1ख	0.005
179/2ख	0.100
177/1क/2	0.121
177/1ख	0.211
178/1ग	0.005
179/2ग	0.100
177/1क/घ	0.263
178/1घ	0.081
179/1ख	0.081
181	0.040
184	0.120
185/2क	0.030
403/1	0.080
415/2क	0.050
185/2ख	0.040

(1)	(2)
403/2	0.200
415/2ख	0.080
186	0.100
187	0.100
190/2	0.040
224	0.050
392/1	0.014
188	0.202
189/1	0.080
189/2	0.080
190/1	0.120
191/421/1	0.405
191/1	0.450
191/2	0.450
191/421/2	0.635
391/1	0.050
191/422	0.687
199	0.035
220/1	0.186
222/1	0.121
223/1	0.071
225/1	0.081
226/1	0.032
220/2	0.070
221/2	0.012
222/2	0.122
223/2	0.071
225/2	0.081
226/2	0.032
227	0.040
231/1	0.053
228	0.113
229	0.036
236	0.100
231/2	0.020
232	0.069
391/2क	0.097
391/2ख	0.120
392/2	0.018
393/1	0.100
393/2	0.100
394/1ख	0.202
394/2ख	0.100
394/2ग	0.090
394/2घ	0.090

(1)	(2)
394/2ड	0.080
394/3	0.160
402/2	0.600
415/4	0.100
402/3क	0.160
415/3ख	0.202
402/3ख	0.240
415/3ग	0.100
402/3ग	0.060
415/3घ	0.100
402/4	0.160
415/5	0.100
415/1ख	0.100
415/3क	0.100
160/2क	0.030
160/2ख	0.030
160/4	0.030
160/4 ख	0.025
176/2क	0.020
176/2ख	0.015
176/2ग	0.015
176/2घ	0.020
196/2	0.963
196/1	0.964
197/1	0.150
194/1	0.100
197/2	0.170
194/2	0.150
198	0.120
234	0.060
235	0.049
योग . .	14.219

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—पडवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.451 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.162
3	0.129
5/1	0.380
5/2	0.160
6/1	0.250
6/2	0.070
7	0.220
8	0.080
योग . .	1.451

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—सलैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.280 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/1	0.120
21/2	0.120
22	0.300
26	0.200
27	0.100
23/1	0.020
23/2	0.010
23/3	0.010
24/4	0.010
28/1	0.010
28/2	0.010
28/3	0.120
32/2	0.020
32/4	0.010
35/1	0.040
39	0.060
40/1	0.020
118	0.100
योग . .	1.280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भदार व्यपवर्तन योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्र. . . . .भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—जबेरा
(ग) नगर/ग्राम—घाट बम्होरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.78 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
336	0.17
337	0.26
339	0.27
342	0.08
योग . .	0.78

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.78 हेक्टेयर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि./सेतु निर्माण विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री निवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2016

प्र. क्र. 6995-10-भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—बड़ीतुम्मी (डूब क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—14.965 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
237	20.107	0.650
240/348	0.647	0.015
218	15.585	3.512
219	0.202	0.202
236	13.358	1.850
220	1.108	1.108
221	0.219	0.219
222	0.049	0.049
223	0.101	0.101
224	0.049	0.049
225	0.158	0.158
226	0.644	0.644
227	0.733	0.366
228	3.108	2.530
231	2.993	0.010
232	11.995	0.411
204	1.303	0.325
205	2.529	1.011
207	5.358	0.200
217	6.055	0.168
240	5.338	0.092
348	0.647	0.632
237	20.107	0.663
कुल रकबा निजी भूमि . .	112.393	14.965

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बड़ीतुम्मी जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्र. 07-अ-82-भू-अर्जन-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—ढड़ारी (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.330 हेक्टर.

भूमि का खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1170/1	0.705
1123/1	0.025
981/1	0.450
981/2/1	0.085
983/2	0.030
935	0.035
कुल योग . .	1.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुण्डम, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्र. 373-प्र. क्र.-02-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्रं. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—दरगढ़ (प.ह.नं. 27)
(घ) रा.नि.मं.—इमलई
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—85.550 हेक्टर.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
63	0.250
67	0.230
83	0.270
85	0.100
65	0.260
78	0.300
534	0.700
542	1.660
80	0.960
89	0.110
113	0.330
115	2.880
81	0.140

(1)	(2)	(1)	(2)
112	0.140	482	1.980
132	0.600	118	0.600
82	1.210	506	2.370
90	0.810	480	0.270
111	1.500	532	1.140
139/1	0.450	538	1.430
140	0.170	533	2.190
139/2	0.250	535	0.620
141	0.100	536	0.400
494	1.200	505/2	4.050
142	0.100	543	1.360
481	0.250	131	0.480
124	1.860	123	1.050
485	0.450	121	1.700
493	0.230	126/1	5.650
507	3.300	126/2	0.400
79	2.110	138	0.260
490	0.600	119	0.500
86	0.150	117/2	0.800
130	0.170	133	0.650
488	1.020	478	1.100
491	0.260	134	0.040
492	0.280	128	0.170
502	1.770	92	0.300
472	0.400	129	0.180
501	1.800	127	0.170
484	0.660	91	0.700
505/1	1.330	99	0.040
117/1	0.800	96	1.150
495	2.150	97	0.780
496	1.680	137	0.280
499	3.480	136	0.170
122	0.260	87	0.200
500	1.790	93	0.560
135	0.760	94	0.350
504	2.290	95	0.180
483	0.650	537	1.190

(1)	(2)
540	1.530
497	1.770
541	1.570
योग . .	85.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) चूंकि उक्त कार्य हेतु भूमि का अर्जन अति आवश्यक है. अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.Jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पुर भी देखा जा सकता है.

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुण्डम एवं कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है.

क्र. 374-प्र. क्र.-01-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्रं. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—किवलारी (प.ह.नं. 42)
(घ) रा.नि.मं.—कुण्डम
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—51.390 हेक्टर.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
54	0.500
104	0.450
53	0.700
52	0.210
51	0.320
50	0.120
94	0.140
154	0.400
55	0.400
74	0.350
90	0.220
92	0.260
93	0.350
95	0.160
273	0.350
300	0.200
96	0.540
98	0.720
121	0.830
120	0.570
36	0.500
114	0.210
99	0.400
100	0.760
275/2	0.400
275/1	0.450
274	0.350
272	0.270
276	0.600
303	1.050
297	0.050
306	0.200
218	0.250
279	0.200
32	0.100
37	0.300
280	0.250
38	0.540
29	0.050

(1)	(2)
281	0.250
282	0.350
307	0.300
302	0.100
301	0.100
296	0.200
304/1	0.200
304/2	0.100
44/2	1.600
224	0.380
124	0.400
123	0.870
119	0.400
113	0.120
21	0.540
27	0.100
118	0.130
110	0.300
117	0.070
149	1.590
108	0.950
106	0.860
25	0.020
20	0.170
152	0.250
23	0.340
26	0.270
150	0.270
28	0.920
33	0.800
31	0.600
34	0.820
39	2.660
40	0.300
44/1	1.200
44/3	1.600
44/4	1.600
45/1	1.550
45/2	1.540
48/1	1.400
111	5.950
48/2	1.700
115	0.190
112	0.680
109	0.860
140	0.450
143	0.160
223	0.200
311	0.110
309	0.150
योग . .	51.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) चूंकि उक्त कार्य हेतु भूमि का अर्जन अति आवश्यक है. अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.Jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुण्डम एवं कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.